कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)

:: विविध आदेश ::

क्रमांक 136/दो–12–11/2014 बैतूल दिनांक 04/07/2021

बैतूल जिले में कोविड–19 के संक्रमण का प्रभाव कम होने से तथा कार्य दिवसो के लिये कोई लॉकडाउन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नही किये जाने से, माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र.ए/113/जबलपुर दिनॉक 15.01.2021 एवं परिपत्र क्र.ए/1149/जबलपुर दिनॉक 03.04.2021 एवं अतिरिक्त एस.ओ.पी. क. ए/2003 दिनांकित 02.07.2021 के पालन में जिला मुख्यालय बैतूल पर स्थित सभी न्यायालयों में तथा परिवार न्यायालय बैतूल में तथा तहसील मुलताई, भैंसदेही और आमला स्थित सभी न्यायालयों में दिनॉक **05.07.2021** से सभी प्रकार के प्रकरणों की भौतिक सुनवाई किये जाने के सबंध में निम्न विविध आदेश पारित किया जाता है:–

1. जिला मुख्यालय बैतूल पर स्थित सभी न्यायालयों में तथा परिवार न्यायालय बैतूल में तथा तहसील मुलताई,भैंसदेही और आमला स्थित सभी न्यायालयों में दिनांक 05.07.2021 से सभी प्रकार के प्रकरण भौतिक रूप से सुनवाई में लिये जावेंगे।

2. समस्त न्यायालय म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 में निर्धारित समयानुसार न्यायालयीन कार्यवाही सम्पादित करेगे।

3. बैतूल जिले में कोविड–19 के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने की दृष्टि से आदेशित किया जाता है कि समस्त न्यायालयों में रिमाण्ड कार्यवाहियॉ, आपराधिक अपीलो एवं निगरानियो में अंतिम तर्क, विविध दीवानी अपीलों में अंतिम तर्क, जमानत आवेदन–पत्र, सुपुर्दगी आवेदनपत्र तथा प्रकीर्ण आवेदन–पत्रों पर केवल व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई की जावेगी।

4. सभी न्यायालयो के पीठासीन अधिकारी सुनवाई के लिये प्रकरणों की दैनिक काज लिस्ट एक दिन पूर्व तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति सबंधित न्यायालय के सूचना–पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित की जावेगी। काज लिस्ट में प्री–लंच सेशन में तथा पोस्ट–लंच सेशन में सुनवाई में लिये जाने वाले प्रकरणो का उल्लेख किया जावेगा और तदनुसार ही सुनवाई का हर संभव प्रयास किया जावेगा।

5. अभिभाषको, पक्षकारो एवं साक्षियों की उपस्थिति पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण की आदेश–पत्रिका पर लिखी जावेगी, किन्तु आदेश–पत्रिका एवं कथनों पर उनके हस्ताक्षर(जहॉ विधिक रूप से आवश्यक हो, को छोडकर) नही लिये जावेगे।

6. विशेष रूप से कोई कारण न होने की स्थिति को छोडकर न्यायालय में आरोपी/आरोपीगण की उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से स्वीकार्य होगी। रिमाण्ड कार्यवाही में आरोपी को प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से व्ही.सी. पाईट पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, किन्तु आगामी रिमाण्ड कार्यवाही जेल से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से स्वीकार की जा सकेगी।

7. समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि समंस की तामीली सामान्य प्रकियों के साथ–साथ सी.आई.एस.–एन.सी.3.2 साफ्टवेयर सुविधा का उपयोग करते हुये मैसेज के माध्यम से भी की जावे।

8. ऐसें न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण तथा कर्मचारीगण जिनको क्वारेन्टाईन/आईसोलेटेड किया गया हो, उनका न्यायालय परिसर के भीतर प्रवेश वर्जित रहेगा।

9. जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील मुलताई, भैंसदेही तथा आमला में प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग न्यायालय परिसर में लिमिटेड गेदरिंग तथा न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण के परिसर में आवागमन के संबंध में कोविड–19 की सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रकार की व्यवस्था करेंगे।

10. कोई भी व्यक्ति शराब पिये हुये, पान, गुटखा या तम्बाकू खाये हुये न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। न्यायालय परिसर में थूकना प्रतिबंधित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त गतिविधि करते पाया गया, तो वह विधि अनुसार एवं केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार अभियोजन/दण्ड का दायी होगा।

11. सभी न्यायिक अधिकारीगण, सभी अभिभाषकगण, सभी पक्षकारगण तथा न्यायालयीन कर्मचारी जो न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में आते है, फेस मास्क या फेस कवर नाक और मुँह को ढकते हुये स्थिति का पहनेगे। प्रत्येक अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय सुनिश्चित करेगे कि सभी अभिभाषकगण फेस मास्क या फेस कवर जो नाक और मुँह को ढका रखे, लगाकर ही न्यायालय परिसर या न्यायालय कक्ष में प्रवेश करे।

12. कोई भी व्यक्ति, जिसे बुखार और फ्लू है, या बुखार या फ्लू जैसे लक्षण है, न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी न्यायालयीन कर्मचारी को बुखार/फ्लू के लक्षण है, तो वह तुरंत अपने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/जिला न्यायाधीश, बैतूल को सूचित करेंगे। यदि कोई अभिभाषक, बुखार/फ्लू से ग्रस्त है, तो वह तुरंत इसकी सूचना अभिभाषक संघ को देंगे एवं अभिभाषक संघ द्वारा तुरंत इसकी जानकारी जिला न्यायाधीश बैतूल को दी जावेगी।

13. केवल उन्हीं पक्षकारों और उनके अभिभाषकगण को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनके प्रकरण नोटिफाईड एवं लिस्टेड हैं। प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, न्यायालय परिसर में इंट्री पाईंट पर यह देखने की व्यवस्था करेंगे कि केवल वही अभिभाषकगण और पक्षकारगण न्यायालय परिसर में आये, जिनके प्रकरण उस दिन न्यायालय में नियत हैं।

14. न्यायालय परिसर में स्थित कैंटीन, फोटोकॉपी की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।

15. अभिभाषक संघ के कक्ष, अभिभाषकगण के चेम्बर एवं अभिभाषकों की लाईब्रेरी सुरक्षा के सभी उपायो को ध्यान में रखते हुये खुले रहेगें। प्रत्येक अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय उक्त कक्षों में लिमिटेड एन्ट्री एवं सेनेटाईजेशन एवं सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करेगे।

16. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग बैतूल, मुलताई, भैंसदेही एवं आमला को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय परिसर में सेनेटाईजेशन एवं हाथ धोने की व्यवस्था मुख्य प्रवेश द्वार पर, टायलेट्स में, न्यायालय कारिडोर्स में करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय/न्यायालय परिसर में बिना हाथ धोये और बिना सेनेटाईजर लगाये प्रवेश नहीं करे तथा न्यायालय एवं न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करायेंगे।

17. न्यायालय में एक समय में केवल वे ही अभिभाषकगण और पक्षकारगण उपस्थित होंगे, जिनके प्रकरणों में सुनवाई हेतु पुकार लगवाई गयी है। शेष अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण न्यायालय कक्ष के बाहर रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे।

18. सभी न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण और न्यायालयीन कर्मचारीगण सोशल डिस्टेसिंग के नियमो का पालन करेगे और सभी को मिलाकर एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति न्यायालय कक्ष मे उपस्थित नही रहेगे। प्रकरणो में सुनवाई एक के बाद एक की जावेगी और बीच में दो मिनट का अंतराल प्रापर सेनेटाईजेशन के लिये रहेगा। न्यायालय कक्ष में कुर्सियॉ एवं बेंच रखने की व्यवस्था तथा न्यायालयीन कर्मचारियो की बैठक व्यवस्था तथा कार्यालय में कर्मचारियो की बैठक व्यवस्था सोशल डिस्टेसिंग के मापदण्ड अनुसार की जावेगी।

19. जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील मुलताई, भैंसदेही, आमला स्थित सभी न्यायालयों के प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे ऐसी व्यवस्था करेगे कि किसी भी दशा में उनके न्यायालय कक्ष में या उसके बाहर बरामदा/कामन पैसेजेज, कॉरिडोर/न्यायालय परिसर में भीड एकत्रित न हो।

20. समस्त न्यायालयो के डिस्प्ले बोर्ड कार्यशील अवस्था मे रहेगें और सभी पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेगे कि डिस्प्ले बोर्ड पर कॉजलिस्ट सभी सबंधित पक्षो की सुविधा और जानकारी के लिए डिस्प्ले की जा रही है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश और प्रकरणो में नियत आगामी दिनांक शीध्रताशीघ्र बैतूल जिले की बेवसाईट पर अपलोड किये जायेगें।

21. अभिभाषकगण अपनी केस फाईल स्वयं धारित करेंगे एवं सुनवाई हो जाने पर अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण तुरंत न्यायालय कक्ष छोड़ देंगे।

22. जिला मुख्यालय बैतूल पर त्रि–सदस्यीय समिति एवं कोविड कम्प्लायंस अधिकारी उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। तहसील मुलताई, भैंसदेही एवं आमला में प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के उपरोक्त सर्कुलर के पालन में गठित समिति निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

23. न्यायालय परिसर में कोई भी कार्यक्रम/आयोजन नही किया जावेगा।

24. समस्त न्यायिक अधिकारी, अभिभाषक, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार तथा साक्षी कोविड–19 के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।

(हस्ताक्षर) 5/7/21
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

पृष्ठां. क्र. 742/दो–12–11/2014 बैतूल, दिनांक 04/07/2021

प्रतिलिपि–

1 माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2 कलेक्टर बैतूल, जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 पुलिस अधीक्षक, बैतूल जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल।

5 श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट बैतूल।

6 प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति. अपर जिला न्यायाधीश, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही श्रीमती दीपका मालवीय/श्री अनुज त्यागी/श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी/श्री राजकुमार गुप्ता/श्री ए.के. ददेलिया/श्री सुशील कुमार जोशी/श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह/श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी।

7 श्रीमती अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बैतूल।

8 श्री दीनानाथ वाडिवा, जिला रजिस्ट्रार एवं न्यायिक दडाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल।

9 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला श्रीमती सुनीता ताराम/श्रीमती रंजीताराव सोलंकी/श्रीमती मंजूषा तेकाम/ श्री एन.एस ताहेड/श्री विनोद अहिरवार।

10. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला।
श्रीमती राधा उईके/श्रीमती कमला गौतम/श्रीमती प्रियंका कुशवाह/श्री अजय कुमार उईके/श्री दीपेन्द्र मालू/सुश्री पूर्वी तिवारी/श्री कौस्तुभ खेड़ा/सुश्री रीना पिपल्या।

11. प्रशिक्षु न्यायाधीश, बैतूल – श्री कृष्णा वोहरा/श्री अभिषेक साहू/श्री अंशुल चन्द्रा/श्री विशाल रिछारिया

12 श्रम न्यायाधीश, श्रम न्यायालय कैम्प बैतूल।

13. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला न्यायाधीश, बैतूल।

14. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, बैतूल/ मुलताई/ आमला/भैंसदेही

15. प्रभारी अधिकारी, नजारत/ग्रंथालय/मालखाना/पंजीयन/तलवाना /कम्प्यूटर अभिलेखागार/प्रतिलिपि/सांख्यिकीय/लेखा अनुभाग, बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही

16. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/आमला/भैंसदेही।

17 अध्यक्ष, कोरोना संक्रमण सुरक्षा कमेटी, बैतूल

18. लोक अभियोजक/अति लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी बैतूल/मुलताई/भैंसदेही की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

19 प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

20 जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/असिस्टेंट सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए. बैतूल की ओर उक्त विविध आदेश की प्रति संबंधितों के मेल आई.डी. पर प्रेषित किये जाने हेतु।

(हस्ताक्षर) 4/7/21
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)